पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

2018 का सिविल मिसेल्लेनीयस न्यायनिर्णयन सं**. 1309**

स्वर्गीय रामेश्वर सिंह के पुत्र राम कृपाल सिंह ग्राम और डाकघर के निवासी-शिव कुंड, पुलिस स्टेशन-धारहरा, जिला मुंगेर और वर्तमान में मोहल्ला-चौहट्टा मथिया, पुलिस स्टेशन-पीरबहोर, जिला-पटना में रहते हैं।

............याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र राम शरण प्रसाद सिंह, निवासीः ग्राम और डाकघर-शिव कुंड, पुलिस स्टेशन-धारहरा, जिला-मुंगेर के निवासी हैं और एस. जे. एम. 2 स्कूल और डाकघर-मोकामा, जिला-पटना में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और वर्तमान में मोहल्ला-चौहट्टा मथिया, पुलिस स्टेशन-पीरबहोर, जिला-पटना

.... उत्तरदाता/याचिकाकर्तागण

उपस्थिति**:**

याचिकाकर्ता/गण के लिएः श्री जे. एस. अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री कुशाग्र कुश, अधिवक्ता

श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ताः श्री अजय कुमार, अधिवक्ता

उपस्थिति में

कोरमः माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा

सीएवी निर्णय

दिनांक: 05-09-2023

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

2. यह सिविल विविध आवेदन 2017 के निष्पादन मामले संख्या 73 में विद्वान निष्पादन मुन्सिफ, पटना द्वारा पारित दिनांक 11.06.2018 के आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर किया गया है।

3. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने कब्जे की वसूली के लिए शीर्षक मुकदमा संख्या 15/2006 दायर किया था जिसे 30.11.2010 के फैसले और डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया था।उक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने शीर्षक अपील संख्या 140/2010 को प्राथमिकता दी, जिसे दिनांक 15.12.2016 के निर्णय और डिक्री द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसके तहत निचली अदालत के फैसले और डिक्री को दरकिनार कर दिया गया था और वादी/याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमे का फैसला किया गया था।याचिकाकर्ता ने निष्पादन मामला संख्या 73/2017 के रूप में एक निष्पादन मामला दायर किया।निर्णय देनदार/प्रतिवादी ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि उक्त निष्पादन मामला सतत नहीं है और कानून के खिलाफ है क्योंकि विद्वान अपीलीय न्यायालय के डिक्री में संपत्ति का विवरण नहीं है इसलिए निष्पादन मामला आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं है।निष्पादन न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया जिसे इस सिविल विविध आवेदन में चुनौती दी गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जे. एस. अरोड़ा प्रस्तुत करते हैं कि निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूरी तरह से गलत और पूर्वाग्रहित है। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि मुकदमे में संपत्ति का विवरण केवल निचली अदालत द्वारा तैयार की गई डिक्री में दिया गया है, न कि अपीलीय न्यायालय का। इसके अलावा, वह प्रस्तुत करता है कि, वास्तव में, अपीलीय न्यायालय की डिक्री में मुख्य रूप से शामिल है कि क्या अपील की अनुमति है या नहीं। अपील के ज्ञापन में संपत्ति का विवरण नहीं है और अपीलीय न्यायालय की डिक्री में कोई अस्पष्टता नहीं है। डिक्री धारक को निर्णय देनदार द्वारा उठाई गई तुच्छ आपत्ति के कारण डिक्री के फल से वंचित किया जा रहा है।चूँकि विचारण न्यायालय की डिक्री विद्वत अपीलीय न्यायालय की डिक्री में विलय हो

गई है और विद्वत विचारण न्यायालय की डिक्री में दिए गए विवरण में विवादित संपत्ति का विवरण शामिल है, इसलिए अपीलीय न्यायालय की डिक्री में इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।संपत्ति की पहचान करने के लिए, अपीलीय न्यायालय की डिक्री का कोई उपयोग नहीं होगा। यह मूल अदालत की डिक्री है जो मुकदमे की विषय वस्तु को निर्दिष्ट करती है, और इसलिए, संपत्ति की पहचान अदालत के समक्ष ट्रायल कोर्ट की डिक्री पेश करके स्थापित की जा सकती थी।

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सी. पी. सी. के परिशिष्ट डी में प्रपत्र संख्या 23 का उल्लेख किया है जो भूमि की वसूली और अपने लाभ के लिए डिक्री के रूप से संबंधित है और परिशिष्ट-जी का प्रपत्र संख्या 9 आदेश 41 नियम 35 के तहत अपील में डिक्री का उल्लेख करता है और इसमें विवादित संपत्ति का विवरण नहीं है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि डिक्री निर्धारित प्रारुप में कानून के परिशिष्ट-जी में प्रपत्र संख्या 9 में दिए गए निर्धारित प्रारूप में कानून के साथ। वह आगे प्रस्तुत करता है कि निर्णय देनदार द्वारा की गई आपत्ति को देखते हुए याचिकाकर्ता ने सी. पी. सी. की धारा 152 के तहत डिक्री में सुधार के लिए अपीलीय न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उक्त डिक्री में विवादित संपत्ति जो विषय वस्तु है, उसमें संशोधन नहीं किया गया है, लेकिन विद्वत अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 02.06.2018 के आदेश के माध्यम से कहा कि न्यायालय ने प्रतिवादियों/प्रतिवादियों को विवादित संपत्ति को खाली करने और अपीलकर्ता को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया था।अपीलार्थी ने अपील में मुकदमे की संपत्ति का अलग से विवरण नहीं दिया है।तदनुसार, यह न्याय के हित में नहीं है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री में विवादित संपत्ति का अलग विवरण आवश्यक है और तदनुसार, याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया है।अपीलीय न्यायालय के उक्त निष्कर्ष और अवलोकन के बावजूद विद्वान निष्पादन मुन्सिफ ने आक्षेपित आदेश पारित किया है जिसे दरकिनार किया जाना चाहिए और निम्न न्यायालय को कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

6. दूसरी तरफ, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपीलीय न्यायालय की डिक्री को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निष्पादित नहीं किया जा सकता है कि संपत्ति का विवरण डिक्री में उल्लेखित नही है और निष्पादन न्यायालय, अदालत की मूल

डिक्री से परे नहीं जा सकता है जब अपीलीय डिक्री सूट संपत्ति का कोई विवरण नहीं देती है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि नीचे की विद्वान न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को सही ढंग से पारित किया है जो एक तर्कपूर्ण आदेश है और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. पटना उच्च न्यायालय के सिविल क्षेत्राधिकार नियमों के नियम 106 को विद्वान क्षेत्राधिकार द्वारा नीचे संदर्भित किया गया हैः

"डिक्री फरमान इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि, उन्हें समझने और निष्पादित करने के लिए, किसी अन्य दस्तावेज़ या कागज को संदर्भित करना आवश्यक नहीं हो"

8. एक डिक्री को "एक निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जहां तक इसे व्यक्त करने वाले न्यायालय के संबंध में है, निर्णायक रूप से मुकदमे में विवाद में सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षों के अधिकारों को निर्धारित करता है", और एक निर्णय के रूप में "एक डिक्री या आदेश के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिया गया बयान" निर्णय, इसलिए, केवल कारण दिए गए हैं और यह डिक्री है जिसमें आदेश शामिल है।

9. नियम 4 के आदेश 20 के तहत निर्णय में "मामले का एक संक्षिप्त बयान, निर्धारण का उस पर निर्णय और इस तरह के निर्णय के कारण।जबकि नियम 6 के तहत, डिक्री, अन्य विवरणों के अलावा "स्पष्ट रूप से दिए गए राहत और मुकदमे के अन्य निर्धारण को निर्दिष्ट करेगी।पुनः नियम 31 के 41 वें आदेश में यह प्रावधान किया गया है कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय में निर्धारण के लिए बिंदु, उस पर निर्णय, निर्णय के कारण, और जहां से अपील की गई डिक्री को उलट दिया गया है या उसमें बदलाव किया गया है, उस राहत के लिए जिसके लिए अपीलकर्ता हकदार है और आदेश 32 के तहत, निर्णय उस डिक्री की पुष्टि करने, उसमें बदलाव करने या उसे उलटने के लिए हो सकता है जिससे अपील की जाती है।

10. विधायिका ने उस न्यायालय को नियुक्त किया है जिसने डिक्री को पारित किया है और अपने निर्णय को डिक्री के रूप में मूर्त रूप देने का कार्य किया है।जाहिर है, अदालत के लिए मामले का निपटारा करते समय सभी विवरणों में पूर्ण आदेश पारित करना

हमेशा संभव नहीं होता है, ताकि जब उस निर्णय पर कार्रवाई करना आवश्यक हो जाए, तो निष्पादन अदालत या निर्णय पर कार्य करने वाले अन्य प्राधिकरण को यह स्पष्ट हो जाए कि वह निर्णय क्या है। डिक्री पारित करने वाला न्यायालय विवरण देने और यह निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है कि निर्णय में निहित निर्णय का वास्तविक प्रभाव क्या है। निर्णय और डिक्री के बीच विसंगति के मामले में, निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है, और पीड़ित पक्ष को डिक्री में संशोधन की मांग करनी चाहिए। संशोधन का प्रश्न नहीं उठेगा यदि डिक्री स्वयं निर्णय था। सी. पी. सी. की धारा 152 लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियों तक सीमित निर्णय में संशोधन का प्रावधान करती है, लेकिन यदि तथ्यों में गलती है, तो उपाय निर्णय की समीक्षा द्वारा है।

11. आम तौर पर तथ्यों का आधार डिक्री का हिस्सा तय करती हैं जिनका रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच द्वारा पता लगाया जाना चाहिए।लेखांकन पर निर्णय लेने में न्यायाधीश के लिए हमेशा एक निश्चित आंकड़े तक पहुंचने के लिए स्वयं आवश्यक गणना करना संभव नहीं होगा।वह केवल उन रेखाओं को इंगित कर सकता है जिन पर लेखांकन किया जाना चाहिए और इस प्रकार प्राप्त परिणाम को डिक्री में शामिल किया जाएगा। डिक्री में आवश्यक अन्य विवरण पक्षों के नाम और विवरण और मुकदमे की विषय वस्तु के विनिर्देश हैं।

12. संहिता ने फरमानों के निष्पादन और एक डिक्री के खिलाफ अपील के लिए प्रावधान किया है; निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए, निष्पादन न्यायालय को वास्तव में पता होना चाहिए कि निर्णय क्या है, और अपील से निपटने के लिए, अपीलीय न्यायालय को पता होना चाहिए कि पक्ष कौन हैं और मुकदमे का विषय क्या है।

13. डिक्री निर्णय के अधीन है और यह निर्णय है न कि डिक्री जो मामले का निपटारा करती है उसे पटना इस तथ्य से स्पष्ट करें कि डिक्री को निर्णय के साथ सहमत होना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि न्यायिक निर्णय, द्वारा किया जाता है न कि डिक्री द्वारा।

14. जहां अपीलीय न्यायालय नीचे दिए गए न्यायालय की डिक्री में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, वहां केवल यह आवश्यक है कि निर्णय के रूप में यह कहा जाए कि अपील खारिज की जाए या नीचे दिए गए न्यायालय की डिक्री की पुष्टि की जाए। अधीनस्थ

न्यायालय की डिक्री के पलटने या परिवर्तित होने की स्थिति में, यह आवश्यक हो जाता है कि अपीलार्थी को जो राहत मिलनी है, उसे निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

15. टोपनमल छोटामल बनाम कुंडोमल गंगाराम में ए. आई. आर. **1960** एस. सी. **388,** माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

"यह अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक डिक्री को निष्पादित करने वाला न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है।उसे डिक्री को वैसे ही लेना चाहिए जैसे वह है, क्योंकि डिक्री मुकदमे के पक्षों के बीच बाध्यकारी और निर्णायक है।"

16. मीनाक्षी सक्सेना बनाम ईसीजीसी लिमिटेड **(2018) 7** एससीसी

479 यह दोहराया गया था किः

"निष्पादन कार्यवाही का पूरा उद्देश्य न्यायालय के फैसले को लागू करना है। निष्पादन न्यायालय जब डिक्री को निष्पादित कर रहा हो तो उसे केवल उसके निष्पादन भाग से मतलब होना चाहिए ना ही कुछ और सेन्यायालय को निर्णय को अपने प्रस्तुत तथ्यों पर लेना होगा। यह तय किया गया है कि निष्पादन अदालत डिक्री से आगे नहीं जा सकती है। लेकिन कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब भौतिक पहलुओं के संबंध में डिक्री में अस्पष्टता होती है। फिर यह न्यायालय का बाध्यकारी कर्तव्य बन जाता है कि वह डिक्री को सही प्रभाव देने की प्रक्रिया में डिक्री की व्याख्या करे।उस समय निष्पादन न्यायालय को अपनी व्याख्या के पूरक के रूप में बहुत सतर्क रहना होगा और इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि वह एक नई डिक्री नहीं बना सकता है।निष्पादन न्यायालय डिक्री को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया में इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दोनों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाएगा।"

17. जैसा कि आम तौर पर जाना जाता है, धारा अपने स्रोत से ऊपर नहीं उठ सकती है। डिक्री का निष्पादन उस यात्रा का अंतिम चरण है जिसमें एक वादी को न्यायालय से वांछित राहत प्राप्त करने के लिए रखा जाता है।

18. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और ऊपर चर्चा किए गए कानूनी प्रावधानों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि संपत्ति की पहचान निचली अदालत की डिक्री पेश करके अदालत के समक्ष स्थापित की जा सकती है। वर्तमान निर्णय और डिक्री के बीच कोई विसंगति नहीं है।

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और विद्वान निष्पादन न्यायालय को कानून के अनुसार डिक्री के निष्पादन को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है।

20. तदनुसार, इस सिविल विविध अनुप्रयोग की अनुमति है।

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्या.)

आशुतोष/-

खण्डन **(डिस्क्लेमर):-** स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।